न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,जालोर

पीठासीन अधिकारी — श्री नरेश बुनकर, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी सं. — 4/2015

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
गुलाबसिंह पुत्र भीमसिंहजी,जाति राजपूत,निवासी सामुजा के कायम मुकामः– 1.मदनसिंह पुत्र गुलाबसिंह 2.गिरधारीसिंह पुत्र गुलाबसिंह 3.गुलाबकंवर बेवा गुलाबसिंह, जातियान् राजपूत, निवासीगण सामुजा,तहसील आहोर, जिला जालोर		1.सरपंच,ग्राम पंचायत सामुजा 2.सरपंच, ग्राम पंचायत गोदन, पंचायत समिति जालोर,तहसील आहोर,जिला जालोर

अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 19894
विरूद्ध आदेश सरपंच,ग्राम पंचायत गोदन,दिनांक 13.11.1979(प्र.सं.6/78)

उपस्थिति :–
1.श्री भगाराम डी. परिहार ,अभिभाषक,प्रार्थीगण की ओर से।
2.श्री सतपाल पुरोहित,अभिभाषक,रेस्पोडेन्ट/अप्रार्थी सं.1 की ओर से।
3.रेस्पोडेन्ट/अप्रार्थी सं.2 अनुपस्थित।

निर्णय दिनांक 3.1.2018

1. प्रार्थीगण के अनुसार निगरानी प्रार्थनापत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि गुलाबसिंह पुत्र भीमसिंह जाति राजपुत निवासी सामुजा के नाम ग्राम पंचायत गोदन द्वारा निलामी में प्लोट लिया था, गुलाबसिंह फौत हो जाने से उनके जायज वारिस प्रार्थीगण मदनसिंह, गिरधारीसिंह पुत्रगण गुलाबसिंह, गुलाब कंवर बेवा गुलाबसिंह होने के कारण इनके द्वारा यह निगरानी प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है, इनके अलावा गुलाबसिंह के कोई वारिस नही है। ग्राम पंचायत गोदन व वर्तमान ग्राम पंचायत सामुजा वर्ष 1978 में एक ही पंचायत,गोदन में ही थी।यह है कि गुलाबसिंह पुत्र भीम सिंह द्वारा सामुजा आबादी भूमि में सरपंच ग्राम पंचायत गोदन के द्वारा आबादी भूमि की निलामी प्लोट संख्या 16 साईज 60X100 का

S.d
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
जालोर (राज.)

दिनांक 24.10.1978 व 25.10.1978 को दोनो ही दिन निलामी बोली में भाग लिया, जिसमें सबसे ऊंची व अंतिम बोली रूपये 250/— अक्षरे दो सौ पचास रूपये में गुलाबसिंह के नाम दिनांक 10.12.1978 को सरपंच ग्राम पंचायत गोदन का आदेश हुआ व निलामी प्रार्थीगण सं.1 व 2 के पिता व 3 के पति गुलाबसिंह के नाम दिनांक 25.10.1978 को बोली राशि 250/—रूपये में से 25/—रूपये रसीद सं. 21 द्वारा जमा करवाये व विकास अधिकारी जालोर के पास अनुमोदनार्थ भेजी, दिनांक 13.8.1979को पंचायत को अनुमोदन प्राप्त हो गया। अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात् सरपंच ग्राम पंचायत गोदन ने उक्त पत्रावली दिनांक 13.8.1979 को बकाया राशि कथित निलामी की 225/—रू,जमा करने पर पट्टा बनाकर प्रार्थीगण सं.1,2 के पिता व 3 के पति गुलाबसिंह के नाम दिया जाने का आदेश जारी किया, ग्राम पंचायत गोदन द्वारा पट्टा बनाया गया जो ग्राम पंचायत गोदन ने अपने कार्यालय में रखा तदुपरांत उक्त पत्रावली सरपंच, ग्राम पंचायत सामुजा में भेजी। मौके पर ग्राम पंचायत गोदन के द्वारा गुलाबसिंह को कब्जा विवादित निलामी प्लोट का दिया जिस पर गुलाबसिंह ने चारो तरफ कम्पाउण्ड वॉल बनाकर उस पर बहैसियत मालिक कब्जा किया व गुंलाबसिंह का सामान उक्त प्लोट पर पडा है। गुलाबसिंह का कथित निलामी की स्वीकृति मंजूर होने के बाद व गुलाबसिंह का मौके पर Physical possession होने के बावजूद सरपंच ने बदनियतिपूर्वक राजनैतिक विवाद से दिनांक13.11.1979 की ग्राम पंचायत गोदन की ऑर्डर शीट after thought एवं surmise conjecture के आधार पर आधारित कर एक fabricated दस्तावेज बनाने की नियत से यह हवाला ऑर्डर शीट में आया कि गुलाबसिंह को नोटिस प्राप्ति के बावजूद बकाया राशि जमा नही करवाई है। ग्राम पंचायत द्वारा बकाया राशि जमा करवाने का नोटिस जारी करने कर पोस्टल रसीद पर गुलाबसिंह का अंगुठा नही होने के बावजूद भी पंचायत ने कथित नोटिस को तामिल मानने में कानूनी व वाक्याती गलती की है। पट्टा प्रार्थी के हक में बनाया जाने के बावजूद दिनांक 13.11.1979 को पंचायत गोदन के द्वारा पट्टा खारिज किया गया है,वह null and void है एवं जमा राशि जब्त करने का आदेश bad in law है। पट्टा खारिज होने व नोटिस जारी की जानकारी होने पर गुलाबसिंह के वारिसदारान् द्वारा नकले ग्राम पंचायत सामुजा सूचना के अधिकार के तहत् आवेदन करने पर दिनांक 10.3.2015 को प्राप्त हुई, तब जानकारी की तिथि से निगरानी अन्दर म्याद पेश की है।अतः ग्राम पंचायत गोदन द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.11.1979 को खारिज फरमावे व दिनांक 10.12.1978 का आदेश बहाल रखा जावे तथा गुलाबसिंह के वारिसान् राशि जमा करवाने को तैयार हैं। प्रार्थीगण

S.d.

के निगरानी प्रार्थनापत्र के साथ धारा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र तथा फहरिस्त के साथ आदेश दिनांक 13.11.1979 आदि की नकले पेश की , इस पर निगरानी दर्ज कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किया व रैकार्ड तलब किया गया।

2. अप्रार्थी सं.1 की ओर से उनके वकील ने दिनांक 21.3.2016 को जवाब पेश किया कि प्रार्थीगण के पिता गुलाबसिंह द्वारा ग्राम पंचायत गोदन में खसरा नम्बर 420 प्लोट सामुजा में आवेदन किया था जिस पर ग्राम पंचायत द्वारा पत्रावली कायम कर उक्त प्रकरण के निस्तारण हेतु मुकद्मा सं.6/78 प्लोट सं.16 हेतु कार्यवाही प्रारम्भ की। दिनांक 4.8.1978 को उक्त प्लोट के मौका निरीक्षण हेतु चन्दनसिंह,जोईताराम व राजा को नियुक्त किया गया, दिनांक 15.8.1978 को ग्राम पंचायत गोदन की बैठक में मौका निरीक्षण रिपोर्ट पेश की, पंचायत द्वारा सर्वसम्मति में सार्वजनिक निलामी द्वारा बैचान करना तय किया गया जिसकी उजरदारी नोटिस प्रकाशन करने का तय किया गया,पत्रावली दिनांक 4.9.1979 को निहित की गई तथा उजरदारी जारी की गई, दिनांक 20.9.1979 को ग्रामसभा आयोजित की गई ,कोई उजरदारी प्रस्तुत नही होने पर ग्राम सभा द्वारा यह तय किया गया कि इस प्लोट की निलामी 24.10.1978 से 25.10.1978 को सुबह 9.00 बजे साय 11.00बजे तक की जावे तथा निलामी का नोटिस प्रकाशित किया जावे। दिनांक 10.12.1978 को ग्राम सभा की बैठक आहुत की जिसमें प्लोट सं.16 की निलामी की सबसे उची व अन्तिम बोली गुलाबसिंह की रूपये 250/- आई जो स्वीकार की। खरीददार ने प्लोट के निलामी की 10 प्रतिशत राशि रूपये 25/- दिनांक 25.10.1978 को रसीद सं.21 से जमा करवा दिये है जिसकी स्वीकृति हेतु बैठक दिनांक 4.11.1978, 20.11.1978 व 1.12.1978 को बुलाई परन्तु कोरम के अभाव में बैठक स्थिगित की गई तथा इस प्लोट की स्वीकृति विकास अधिकारी से अनुमोदन हेतु लिखने का तय किया गया। दिनांक 13.8.1979 को पंचायत की बैठक में तय किया गया कि श्री गुलाबसिंह से बकाया राशि 225/-रूपये जमा करवाकर पट्टा बनवाकर दिया जावे। दिनांक 13.10.1979 को बैठक में तय किया गया कि गुलाबसिंह द्वारा प्लोट निलामी की राशि 225/-रूपये जमा नही करवाये है ,जिस हेतु नोटिस दिया गया है परन्तु रकम की प्राप्ति नही हुई है। दिनांक 13.11.1979 को बैठक में निर्णय लिया गया कि बकाया राशि जमा नही होने व डाक से रजिस्टर्ड नोटिस का कोई जवाब नही देने से गुलाबसिंह का प्लोट सं.16 खारिज किया जाता है। ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा नही बनाया

अतिरिक्त ... कलेक्टर
जालोर (राज.)

गया था क्योंकि 225/—रूपये गुलाबसिंह ने जमा ही नही करवाये तो पट्टा बनवाने का प्रश्न ही पैदा नही होता है। अतः प्रार्थीगण की निगरानी प्रार्थनापत्र को खारिज करावे।

3. उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। प्रार्थीगण के अभिभाषक ने अपने निगरानी प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों को बहस में दोहराया व सरपंच ग्राम पंचायत गोदन का आदेश दिनांक 13.11.1979 को खारिज करने का निवेदन किया। इसके विपरीत अप्रार्थी सं.1 के वकील ने बहस में अपने जवाब प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया व प्रार्थीगण की निगरानी खारिज करने का निवेदन किया।

4. उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया व रैकार्ड का अवलोकन किया गया। रैकार्ड में हमारे समक्ष केवल सरपंच,ग्राम पंचायत गोदन की मिसल ही प्राप्त हुई जिसमें पट्टे की कार्यालय प्रति अंकित है,शेष रैकार्ड बैठक कार्यवाही रजिस्टर, राशि जमा की रसीद आदि, प्राप्त नही हुए है। ग्राम पंचायत गोदन द्वारा प्लोट की निलामी करने पर प्रार्थी गुलाबसिंह पुत्र भीमसिंह कौम राजपूत साकिन सामुजा द्वारा सबसे उची बोली 250/— लगाई थी जिसमें से 25/— रू. रसीद सं. 21/25.10.78 से जमा करवाये थे,बकाया राशि 225/— जमा कराने पर गुलाबसिंह के नाम पट्टा बनाकर दिये जाने का आदेश ग्राम पंचायत गोदन द्वारा जारी किया था, ग्राम पंचायत गोदन ने पट्टा बनाकर अपने कार्यालय में रखा तथा बकाया राशि जमा नही कराने पर आदेशिका दिनांक 13.11.79 द्वारा उक्त पट्टे को खारिज किया जिसके विरूद्ध यह निगरानी गुलाबसिंह फौत होने से उसके कायम मुकाम मदनसिंह वगैराह द्वारा पेश की गई है। बकाया राशि जमा कराने का गुलाबसिंह के नाम का नोटिस दिनांक 16.9.79 जो लेने से इन्कार का ग्राम पंचायत की पत्रावली में है जिस पर जावक रजिस्टर के क्रमांक व दिनांक अंकित नही है,इस पर श्री पूनमाराम ,चपरासी का अंगुष्ठ निशान अंकित हैं, डाक से भी जो प्राप्ति रसीद मिसल के संलग्न है जिसमें 13.10.79 के गुलाबसिंह ,भवानीसिंह व भीमसिंह के हस्ताक्षर है,गुलाबसिंह के नोटिस की डाक से प्राप्ति रसीद पर तीनो के हस्ताक्षर होना विचारणीय बिन्दु है। इसके अलावा प्रार्थी गुलाबसिंह ने पूर्ण राशि ही जमा नही करवाई तो पट्टा किन नियमों व प्रकिया के तहत् तैयार किया गया,यह सोचनीय बिन्दू है। प्रार्थी गुलाबसिंह फौत होने पर उसके कायम मुकाम द्वारा यह निगरानी पेश की गई है जबकि निलामी स्वीकृति गुलाबसिंह जो अब फौत हो चुका है, के नाम की गई है' ग्राम सामूजा की ग्राम पंचायत अब गोदन नही होकर सामूजा है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी की निगरानी रिमाण्ड योग्य है।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
जालोर (राज.)

आदेश

प्रार्थीगण द्वारा सरपंच, ग्राम पंचायत गोदन के आदेश दिनांक 13.11.79 (मिसल सं.6/78)के विरूद्ध प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर सरपंच,ग्राम पंचायत गोदन का आदेश दिनांक 13.11.1979 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण सरपंच, ग्राम पंचायत सामूजा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता हैं कि प्रार्थी गुलाबसिंह के कायम मुकाम को सुनवाई का अवसर देकर नियमानुसार कार्यवाही करे। पत्रावली फैसल सुदा मानी जाकर, नम्बर से कम होकर,बाद तकमील तरतीब के बाजाब्ता दफ्तर दाखिल हो।

(नरेश बुनकर)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
जालोर (राज.)

निर्णय,आज दिनांक 3.1.2018को खुले न्यायालय में पढ़कर सुनाया गया।

(नरेश बुनकर)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
जालोर (राज.)